अध्याय 9

भारतीय संसद

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- भारतीय संसद की संरचना, उसके अधिकारी, सदस्यों की शक्तियों और संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली तथा उनके अधिकार और शक्तियों के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त होगी।
- भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था की बदलती प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी है।

परिचय (Introduction)

संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी, 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था। इस महती काम को अंजाम देने में छह वर्षों का लंबा समय लगा। इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी, 1927 को किया था। इसमें 12 द्वार हैं जिसमें गेट नंबर 1 मुख्य द्वार है। संसद का स्थापत्य नमूना अद्‌भुत है। मशहूर वास्तुविद लुटियन्स ने भवन का डिजाइन तैयार किया था।

1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी, जिसे संविधान के द्वारा संसद नाम दिया गया है। भारतीय संसद की रचना राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से होती है। संविधान में इसका उल्लेख भाग 5, अध्याय 2 और 3 में 79 से 123 के अंतर्गत किया गया है।

राज्यसभा

(Rajya Sabha or Council of States)

संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ-क्षेत्रों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। 12 ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान का [illegible] रखते हैं।

राज्यसभा में 'राज्यों की समानता' [illegible] को नहीं अपनाया गया है। प्रतिनिधित्व का आधार राज्य की जनसंख्या [illegible] बनाया गया है। अतः अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का राज्यसभा में अधिक प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उसके लिए उन सभी योग्यताओं का होना आवश्यक है जो संसद सदस्य के लिए आवश्यक मानी जाती है।

राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किन्तु प्रत्येक दो वर्ष के उसके एक तिहाई सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। उनके स्थान पर नए निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं। इस प्रकार एक सदस्य का कार्यकाल छः वर्ष का है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापित की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापतित्व उप-सभापति करता है जो सदन का सदस्य होता है और सदन के द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है।

राज्यसभा को स्थाई और निरंतर चलने वाली संस्था बनाकर हमारे संविधान-निर्माताओं ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है। सदस्यों के आवर्तन की पद्धति के कारण न केवल सदन की निरंतरता बनी रहती है वरन् हर राज्य की विधानसभा को यह अवसर मिल जाता है कि वह समय-समय पर इस सदन में कुछ नए सदस्यों का निर्वाचन करती रहे। राज्यसभा में वर्तमान दलीय शक्ति और प्रत्येक राज्य में व्यापक समकालीन, दृष्टिकोण और मनोवृत्ति परिलक्षित होती रहती है परिणामस्वरूप, राज्यसभा में सदैव नवीनता व्याप्त रहती है। समय-समय पर नया रक्त-संचार होने के कारण यह सदन हमेशा वर्तमान सामाजिक समस्याओं के सम्पर्क में रहता है। फलतः राज्यसभा में अनुभवी और योग्य व्यक्तियों का ही प्रतिनिधित्व संभव हो पाता है।

लोकसभा
(Lok Sabha or House of the People)

यह लोकप्रिय सदन है जिसका निर्वाचन जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए आवंटित स्थानों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को दिए गए स्थानों और उसकी जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए, जहां तक व्यवहार्य हो, एक जैसा बना रहे, परंतु यदि किसी राज्य की जनसंख्या 60 लाख से कम है तो उपर्युक्त विधि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

संविधान के अनुच्छेद 82 के अन्तर्गत प्रत्येक जनगणना के पश्चात् विभिन्न राज्यों में लोकसभा के स्थानों का आवंटन करने संबंधी तथा राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: समायोजन करने के लिए संसद को अधिकृत किया गया है, वह इस विषय पर विधान की संरचना करे तथा समुचित निर्देशन प्रदान करे, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

लोकसभा यदि पहले ही विघटित कर दी जाए तो अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी। राष्ट्रपति इस अवधि से पहले उसे विघटित कर सकता है। संकटकाल की स्थिति में लोकसभा में एक समय में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है, परंतु घोषणा के प्रवर्तन की समाप्ति के बाद किसी भी दशा में यह अवधि छ: मास के लिए ही बढ़ायी जा सकती है।

लोकसभा की अर्हताएं एवं अनर्हताएं—लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में ये अर्हताएं होनी चाहिए—वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से कम आयु का न हो, तथा वे सब अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद निश्चित करे। उसे भारत में प्रभुसत्ता तथा अखण्डता के प्रति शपथ लेनी होती है।

संसदीय विशेषाधिकार—संसदीय विशेषाधिकार का तात्पर्य ऐसे अधिकारियों तथा उन्मुक्तियों से है, जो संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन, उसके सदस्यों तथा समितियों का सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य संसद या राज्य विधानमण्डल की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरिमा की रक्षा करना है। संविधान के अनुच्छेद 105 तथा 194 हमारे विधानमंडलों को वही विशेषाधिकार प्रदान करते हैं जो हाउस ऑफ कामन के हैं। ये स्वतंत्र उपबंध है और यह अर्थान्वयन नहीं किया जाना चाहिए कि ये मूल अधिकारों को प्रत्याभूत करने वाले भाग-3 के अधीन है। प्रत्येक सदन के विशेषाधिकारों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

1. सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार निम्न हैं:
   - गिरफ्तारी से उन्मुक्ति (अपराधिक तथा निवारक निरोध के संदर्भ में छूट नहीं दी गई है।)
   - साक्षी के रूप में उपस्थिति में छूट
   - वाक् स्वातंत्र्य
   - संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च के लिए दिये जाते हैं।
2. सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार निम्न हैं:
   - सदन की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने तथा अन्य को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार।
   - जो व्यक्ति सदन का सदस्य न हो उसे सदन के बाहर निकालने का अधिकार।
   - सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने तथा सदन के भीतर उत्पन्न होने वाले मामलों को निबटाने का अधिकार।
   - सदन के सदस्यों तथा बाहरी व्यक्तियों को सदन की विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए दण्डित करने का अधिकार।
   - सदन की कार्यवाही को न्यायालय द्वारा जांच करने से रोकने का अधिकार।
   - किसी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी, दोषसिद्धि, कारावास तथा रिहाई के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
   - सदन की किसी गोपनीय बैठक की कार्यवाहियों तथा निर्णयों को प्रकट करने पर रोक संबंधी अधिकार।

तालिका 9.1: राज्यसभा तथा लोकसभा में अंतर

राज्यसभा	लोकसभा
1. राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी कोई भंग नहीं कर सकता। प्रत्येक दो वर्ष पश्चात् एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उतने ही नव-निर्वाचित हो जाते हैं।	1. लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है तथा इससे पहले भी इसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है, नई लोकसभा का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए।
2. राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है। इसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर सदस्य चुने जाते हैं। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति किसी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वालों को नामित करता है।	2. संसद में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं जिसमें 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं।
3. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यों की विधानसभाएं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित करती है।	3. जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य सार्वजनिक एवं गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं यह जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं।

(Continued)

राज्यसभा	लोकसभा
4. राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता।	4. लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं तथा इनका चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
5. धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत या पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है।	5. धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है।
6. धन विधेयक के सम्बन्ध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है। 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है पारित समझा जाता है।	6. लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन-विधेयक के संबंध में लोकसभा को अंतिम एवं वास्तविक अधिकार है।
7. मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती।	7. मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker of the Loksabha)

भारत के लोकसभाध्यक्ष का पद, प्रतिष्ठा, गौरव और गरिमा का है। लोकसभा में सभी अध्यक्षों ने अभी तक अपनी निष्पक्षता और गरिमा को बनाए रखा है। अध्यक्ष राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति होता है। भारत में अध्यक्ष शासक दल से और उपाध्यक्ष विपक्ष से बनाये जाने की परम्परा विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य अध्यक्ष की निष्पक्षता को बनाये रखना है।

लोकसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों और प्रभाव में ब्रिटिश हाऊस ऑफ कामन्स के अध्यक्ष से अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा की शक्तियों का प्रतीक है। लोकसभा का अध्यक्ष-पद, जिसे 1947 से पहले सभापति कहा जाता था, 1921 से चला आ रहा है। मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत पहली केन्द्रीय विधानसभा बनी थी। भारत में सर्वप्रथम इस पद पर सर फ्रेडरिक व्हाइट को मनोनीत किया गया था। गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे।

अध्यक्ष का निर्वाचन

भारत में निश्चित तिथि पर अध्यक्ष का निर्वाचन राष्ट्रपति के आदेश पर, लोकसभा के सदस्य करते हैं। इसके पूर्व प्रस्तावक, अनुमोदक तथा प्रत्याशी की सहमति के साथ नामांकन किया जाता है और निर्वाचन बहुमत के आधार पर होता है। बहुमत दल अर्थात् शासक दल की ओर से प्रधानमंत्री प्रस्तावक होते हैं। बहुमत का समर्थन प्राप्त व्यक्ति निर्वाचित घोषित हो जाता है।

अध्यक्ष का कार्यकाल, उसकी पदमुक्ति, वेतन एवं भत्ते

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य रहने तक पद पर बने रहते हैं, तत्पश्चात् उन्हें अपना पद रिक्त करना होता है, किन्तु लोकसभा के विघटित हो जाने के बावजूद अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपने पद पर बने रहते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं। वे लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किए गए एक प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसे प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना न दे दी गई हो। लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो और जब वह उपाध्यक्ष के विरुद्ध हो तो उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ऐसी बैठक की कार्यवाहियों में वह भाग लेकर अपना मत दे सकता है, किन्तु मत समान होने की दशा में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। अध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जिसे संसद विधि द्वारा नियत करे।

लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य

भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामंस के स्पीकर के समान है। वह लोकसभा का प्रमुख होता है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व सदन का कार्य शांति एवं व्यवस्थित ढंग से चलाना है। सदन के भीतर और सदन से संबंधित सभी मामलों में अंतिम प्राधिकार इसी का है। अध्यक्ष पद के साथ स्वतंत्रता और निष्पक्षता के दृष्टिकोण का विशेष महत्त्व है। इसे कई रूपों में देखा जा सकता है। वरीयता क्रम में इसका स्थान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद आता है। इसके वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, अर्थात् संसद में इस पर मतदान नहीं हो सकता। इसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के अतिरिक्त चर्चा नहीं हो सकती है। अध्यक्ष राजनीतिक रूप से तटस्थ होता है। वह किसी दल विशेष से संबंध रखते हुए भी सक्रिय दलीय राजनीति में भाग नहीं लेता है और न ही किसी दल का पद धारण करता है।

अध्यक्ष सदन के कार्य का संचालन करता है तथा उसकी कार्यवाहियों को विनियमित करता है। वह संवैधानिक प्रावधानों तथा 'लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों' के अनुसार ही इन कार्यों को संपादित करता है। संसदीय मामलों में उसका फैसला अंतिम होता है। सदन संबंधी क्रिया-कलापों के बारे में अस्पष्टता की स्थिति में इसका फैसला अंतिम होता है। उसके निर्णय को न तो चुनौती दी जा सकती है और न ही उसकी आलोचना की जा सकती है। सदन के वातावरण को अव्यवस्थित करने के कारण अध्यक्ष किसी सदस्य को सदन से चले जाने के लिए कह सकता है अथवा उसे सदन से निलंबित भी कर सकता है।

अध्यक्ष इस बात का फैसला करता है कि क्या सदस्य विशेष का अथवा सदन के विशेषाधिकार भंग का मामला प्रथम द्रष्टव्य बनता है अथवा नहीं। लोकसभा के संसदीय समितियों के गठन में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका

स्थापित होती है। समितियों के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष ही करता है। समितियां उसी के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करती हैं। कुछ समितियों की अध्यक्षता वह स्वयं ही करता है, जैसे—कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति तथा नियम समिति।

संविधान अध्यक्ष को एक विशेष शक्ति प्रदान करता है कि किसी विधेयक के बारे में अगर यह संदेह हो कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं तो उसका फैसला अंतिम होगा। यह अध्यक्ष की एक विवेकिक शक्ति है। अध्यक्ष के इस फैसले को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन की गरिमा तथा सदन की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। संसदीय संस्कृति के निर्माण में अध्यक्ष की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती है। वर्तमान समय में जबकि संसदीय संस्कृति का पतन हो रहा है अथवा विधायिका जैसी संस्था की छवि राजनीति के अपराधीकरण के अन्तर्गत धूमिल हो रही है, अध्यक्ष की निष्पक्षता और क्रियाशीलता का विशेष महत्त्व है।

लोकसभा अध्यक्ष

भारत मे लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उदभव भारत सरकार एक्ट 1919 के प्रावधान के तहत 1921 मे हुआ। 1921 से पहले भारत का गवर्नर जनरल केन्द्रीय विधान परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी था और 1921 मे भारत के गवर्नर जनरल फेडरिक वाइट को पहला अध्यक्ष व सच्चिदानंद सिन्हा को पहला उपाध्यक्ष चुना गया। 1925 में बिटठल भई पटेल केन्द्रीय विधान परिषद के पहले अध्यक्ष निर्वाचित चुने गए जो पहले भारतीय थे।

तालिका 9.2:

स्वतंत्रता के बाद लोकसभाध्यक्ष	
1. गणेश वासुदेव मालवंकर	15 मई, 1952–27 फरवरी, 1956 (स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष)
2. एम. ए. आयंगर	8 मार्च, 1956–10 मई, 1957 (स्वतंत्र भारत के पहले उपाध्यक्ष)
	11 मई, 1957–16 मार्च, 1962
3. हुकुम सिंह	17 अप्रैल, 1962–16 मार्च, 1967
4. नीलम संजीव रेड्डी	26 मार्च, 1977–13 मार्च, 1977
5. डॉ. गुरदयाल सिंह ढिल्लों	8 अगस्त, 1969–19 मार्च, 1971
	22 मार्च, 1971–1 दिसंबर, 1975
6. बलिराम भगत	15 जनवरी, 1976–25 मार्च, 1977
7. नीलम संजीव रेड्डी	26 मार्च, 1977–13 जुलाई, 1977
8. के. डी. हेगड़े	21 जुलाई, 1977–21 जनवरी, 1980
9. डॉ. बलराम जाखड़	22 जनवरी, 1980–15 जनवरी, 1985
	16 जनवरी, 1985–18 दिसंबर, 1989
10. रवि राय	19 दिसंबर, 1989–9 जुलाई, 1991
11. शिवराज पाटिल	10 जुलाई, 1991–22 मई, 1996
12. पी. ए. संगमा	10 जुलाई, 1991–22 माई, 1996
13. जी. एम. सी. बालयोगी	24 मार्च, 1998–20 अक्टूबर, 1999
	22 अक्टूबर, 1999–3 मार्च, 2002
14. पी. एम. सईद	मार्च, 2002–मई 2002 (कार्यवाहक)
15. मनोहर जोशी	10 मई, 2002–2 जून, 2004
16. सोमनाथ चटर्जी	4 जून, 2004–30 मई, 2009
17. मीरा कुमार	4 जून, 2009–4 जून, 2014
18. सुमित्रा महाजन (दूसरी महिला)	6 जून, 2014 से अब तक

नोट—जी. वी. मालवंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनकी कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। सबसे छोटा कार्यकाल बलराम जाखड़ का रहा जबकि मालवंकर हुकुम सिंह और बलराम जाखड़ को लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटाने का प्रस्ताव भी लाया जा चुका था।

लोकसभा के महासचिव (General Secretary of Loksabha)

लोकसभा महासचिव सदन का महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह सभी संसदीय क्रिया-कलापों प्रकियाओं तथा प्रथाओं के संदर्भ में अध्यक्ष का, सदन का तथा सदस्यों का सलाहकार होता हैं। एक स्थायी अधिकारी के रूप में वह सभापटल का प्रमुख अधिकारी होता है। वह संसदीय परंपराओं और प्रथाओं का रक्षक होता है।

महासचिव का राजनीतिक मामलों से कोई संबंध नहीं होता है। इससे अपेक्षा की जाती है कि उसका दृष्टिकोण दलगत राजनीति से रहित तथा निष्पक्ष हो, क्योंकि सदन संबंधी क्रियाकलापों में उसकी भूमिका बहुत ही व्यापक होता है। इसे उन अधिकारियों में से चुना जाता है जिन्होंने सदन के सचिवालय में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सराहनीय किए गए हैं जिससे कि वह अपना कार्य निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर कर सके। सदन में उसकी आलोचना नहीं की जा सकती है तथा सदन के बाहर उसके सदन संबंधी क्रिया-कलापों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। वह सीधे अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है।

महासचिव के कार्य
(Functions of the General Secretary)

महासचिव राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को आमंत्रण जारी करता है, वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करता हैं। सदन की ओर से संदेश भेजता है। वह अध्यक्ष की ओर से सदस्यों, मंत्रियों तथा अन्य पत्र व्यवहार करता है।

वह सदन और इसके सचिवालय के वित्त एवं लेखाओं पर नियंत्रण रखता है। वह सदन का कार्यवाही वृतांत तैयार करवाता हैं। महासचिव का यह कर्तव्य है कि सचिवालय के सांगठनिक स्वरूप को हमेशा इस प्रकार बनाए रखे जिससे कि संसदीय कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके। वह संसदीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रय घटनाओं की जानकारी रखता हैं।

महासचिव अपने अधिकार से बहुत से विधायी, प्रशासनिक एवं कार्यपालिका कृतियों का निर्वहन करता है। वह सदस्यो को सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वह सदन के परिसर में सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में वह संसद की विरासत का रक्षक होता है। वह संसदीय दल के सचिव के रूप में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ और अंतराष्ट्रीय संघ की भारत शाखा गतिविधियों का भी आयोजन करता है। लोकसभा अध्यक्ष के नाम से बहुत से ऐसे कार्य करता है जो अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र है। इस प्रकार का कार्य वह अध्यक्ष की ओर से उसकी सहमति से ही करता है।

चूंकि महासचिव को संसदीय क्रियाकलापों एवं प्रथाओं के बारे में बहुत अनुभव होता है,अत: कई विधोयकों का निर्माण के सन्दर्भ में तकनीकी जानकारी प्राप्त करनें एवं संसदीय गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के एक स्रोत के रूप में भी शमिल होता है।

उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)

लोकसभा के सदस्य सदन के उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष के चुनाव में साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनायी जाती है। उपाध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक वह सदन का सदस्य रहता है। वह लोकसभाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है, अपने पद से लोकसभा के सदस्यों द्वारा पारित संकल्प के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। लोकसभाध्यक्ष की तरह यहां भी 14 दिनों की पूर्व सूचना अनिवार्य है। उपाध्यक्ष पदों कें लिए सामान्यतया विपक्ष के किसी सदस्य को चुना जाता है।

उपाध्यक्ष के कार्य

लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष अपने दल की राजनीति में भाग तो ले सकता है, परंतु व्यवहार में वह सदन में अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जहां तक हो सके विवादास्पद मामलों से अपने को अलग रखता है।

संसद की शक्तियां (Powers of Parliament)

विधायी शक्तियां

संसद का मुख्य कार्य विधि निर्माण है। गैर वित्त विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकते है, किन्तु कोई विधेयक अधिनियम तभी बन सकता हैं जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है और उस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी हो। यदि किसी विधेयक को किसी एक सदन द्वारा संशोधित कर दिया गया है तो उस संशोधन पर दूसरे सदन की भी स्वीकृति आवश्यक है। असहमति की अवस्था में अथवा यदि किसी विधेयक के किसी एक सदन में भेजे जाने के 6 माह तक उक्त सदन विधेयक को पास करके नहीं लौटाता तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आमंत्रित करता हैं।

वित्तीय शक्तियां—संसद को भारत सरकार के कोष पर कारगर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया हैं। वित्तीय विधेयक के संबंध में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा की अपेक्षा दुर्बल है, क्योंकि-ऐसे विवाद उठने पर कि कोई विधेयक वित्त-विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम माना जाता है। वित्त-विधेयक लोकसभा मे ही प्रस्तातिव होते है, राज्यसभा में नहीं। वित्त-विधेयक पर राज्यसभा की स्वीकृति का विशेष महत्त्व नहीं रहता क्योंकि जब लोकसभा द्वारा पारित वित्तीय विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा को विधेयक की प्राप्ति की तारीख तक 14 दिनों के भीतर विधेयक को मूल रूप में या संशोधन सहित लौटा देना होता है और लोकसभा को अधिकार है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करे या न करे। यदि राज्यसभा वित्तीय विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाती तो विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियां

संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान-मण्डलों के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचक-मण्डल की रचना करते हैं। संयुक्त अधिवेशन में सम्मिलित, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। तथा राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है।

प्रशासकीय शक्तियां—मंत्रि-परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा का देश की कार्यपालिका पर कोई वास्तविक नियंत्रक नहीं हैं। मंत्रि-परिषद के उत्तरदायित्व का अभिप्राय यह है कि वह लोकसभा का विश्वासपात्र बने रहने तक ही सत्तारूढ़ रहेगा। लोकसभा का यह दायित्व है कि वह शासन के विभिन्न क्रिया-कलापों पर दृष्टि रखे। लोकसभा के पास नियंत्रण के कई उपाय है, जैसे—शासन के विभिन्न कार्यों की सूचना मांगना, शासन कार्यों की आलोचना करना आदि। यद्यपि राज्यसभा कार्यपालिका से प्रश्नों के उत्तर मांगती है, कार्यपालिका की आलोचना करती है और लोकसभा के समान ही स्थगन प्रस्ताव का अधिकार रखती है तथा लोकसभा के समान ही ऐसा प्रस्ताव पास कर सकती है कि जिसमें आग्रह किया हो कि शासन को एक विशेष प्रकार की नीति पर चलाना चाहिए।

संवैधानिक शक्तियां

संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति पर ही संविधान में संशोधन हो सकता है। संशोधन संबंधी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है पर यह आवश्यक है कि संसद के प्रत्येक सदन में सम्पूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 (दो तिहाई) मतदान से यह संशोधन विधेयक पारित हो तथा राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे। संविधान में कुछ ऐसे भी विषय रखे गए हैं जिनमें संशोधन करने से पूर्व राज्य विधान-मंडलों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है और जिन्हें अकेले संसद ही संशोधित कर सकती है।

अत: स्पष्ट है कि 'संसद का प्रधानकार्य देश के लिए कानून बनाना, सरकार की आवश्यकताओं के लिए धन उपलब्ध कराना और राज्य सेवाओं के लिए आवश्यक धनराशि का विनियोग करना है। संसद को संविधान मे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगानें ,उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को उनके पदों से हटाने का अधिकार प्राप्त है।

मंत्री-परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्येक कानून के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यद्यपि वित्त संबंधी कानूनों की राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए, परंतु केवल लोकसभा को ही उन पर स्वीकृति प्रकट करने तथा स्वीकृति देने से मना करने का अधिकार प्राप्त है।

संविधान द्वारा अथवा स्वयं अपने ही प्रक्रिया-नियमों द्वारा लगाई गई सीमाओं को छोड़कर सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करने तथा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करने का संसद का अधिकार असीमित है। संकटकालीन स्थिति में संसद को राज्य-सूची में दिए विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है केवल उन कुछ मामलों को छोड़कर जिनमें संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कम से कम आधे राज्यों के विधान-मण्डलों का अनुसमर्थन अपेक्षित है।

संसद सर्वोच्च नहीं

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में संविधान को संसद से ऊपर का दर्जा दिया है। पीठ ने अपने निर्णयों में यह भी बताया कि कोई भी कानून जो किसी व्यक्ति को निजी स्वार्थ से उसकी निजी संपत्ति से वंचित करे, वह गैर-कानूनी और अनुचित होगा। यह कानून के शासन को कमजोर करेगा, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

संसदीय प्रक्रिया (Parliamentary Procedure)

गैर सरकारी विधेयक

गैरसरकारी विधेयक से आशय ऐसे विधेयक से है जो मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य के अलावा संसद के किसी सदन के सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। अपितु ये संबंधित सदन के सचिवालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन या ऐसे अन्य दिन जो अध्यक्ष नियत करे ढाई घंटे तक विचार होता है। यदि संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर विरोधा-भाष उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा।

धन विधेयक (Money Bill)

धन विधेयक राष्ट्रपति के सहमति द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा का एकाधिकार है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा के पास भेजा जाता है। राज्य सभा यदि 14 दिन के भीतर विधेयक को संशोधन सहित या रहित नहीं भेजता है तो यह विधेयक पारित मान लिया जाता है। यदि राज्य सभा द्वारा विधेयक को संशोधन सहित लोक सभा को भेजा जाता है तो यह लोकसभा के विवेक पर है कि उस संशोधन को विधेयक में शामिल करे या बिना संशोधन किये ही उसे पारित कर दे। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाता है यदि उसमें निम्न में सभी या किन्हीं विषयों से सम्बन्धित उपबंध है:

1. किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन
2. सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन
3. भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना।
4. भारत की संचित निधि से धन का विनियोग।
5. किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना।
6. भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा मद से धन प्राप्त करने अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा।
8. उपखंड 1 से 6 में से निर्दिष्ट किसी विषय का अनुषांगिक कोई विषय।

वित्त विधेयक (Finance Bill)

साधारणतया वित्त विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। किन्तु अनुच्छेद 117 के अनुसार जिन वित्त विधेयकों को अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है वे दो वर्ग के होते हैं। पहले वर्ग में वे विधेयक आते हैं जिनमें अनुच्छेद 110 में शामिल विषयों में कोई शामिल है, किंतु उसमें केवल मात्र वही विषय नहीं है। जैसे किसी विधेयक में कराधान में कराधान खण्ड है किंतु वह केवल कराधान से सम्बन्धित नहीं है। कोई सामान्य विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि व्यय करने वाले उपबन्ध हैं। प्रथम वर्ग के विधेयक के लिए धन विधेयक के समान दो लक्षण हैं—वह राज्यसभा में प्रारंभ नहीं किया जा सकता है तथा राष्ट्रपति की अनुमति पेश करने के लिए आवश्यक है। किंतु वह धन विधेयक नहीं है अत: राज्यसभा को ऐसे वित्त विधेयक को नामंजूर करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति है, एक सामान्य विधेयक की भांति। इस पर संयुक्त बैठक हो सकती है।

दूसरे वर्ग का विधेयक एक सामान्य विधेयक की तरह है। वह किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है।

तालिका 9.3: धन विधेयक और सामान्य विधेयक में अंतर

धन विधेयक (Money Bill)	सामान्य विधेयक (General Bill)
• धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं।	• सामान्य विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है।
• धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है।	• सामान्य विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है।

(Continued)

धन विधेयक (Money Bill)	सामान्य विधेयक (General Bill)
• धन विधेयक के सम्बन्ध लोकसभा को अत्यांतिक अधिकार प्रदान किया गया है।	• सामान्य विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है।
• धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है।	• सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है।
• धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है।	• सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है।
• धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किये जाते हैं।	• साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किये जा सकते है।
• धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह धन विधेयक है।	• साधारण विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
• धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है।	• राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है।

विनियोग विधेयक (Appropriate Bill)

अनुदान सम्बन्धी सभी मांगे जब लोकसभा द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो वे सब मांगे तथा जितना भी व्यय संचित निधि से होना है उन सभी को मिलाकर एक विधेयक की शक्ल दे दी जाती है। इसे वार्षिक विनियोग कहते हैं। विनियोग विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है तथा लोकसभा जिन अनुदानों को स्वीकृति प्रदान करती है उन पर कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता है। विनियोग विधेयक आवश्यक है क्योंकि बिना इसकी स्वीकृति के संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है। सभी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति उन पर अपनी अनुमति देना अथवा धन विधेयकों के अतिरिक्त, अन्य विधेयकों को संसद के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है यदि संसद पुन: पारित कर दे तो उसे हस्ताक्षर करने होंगे।

संसद में बजट (Budget in Parliament)

संविधान ने बजट को 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा है। लेकिन 2014 में बनी NDA सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में सम्मिलित कर दिया हैं। वर्ष 2017 का बजट एक साथ प्रस्तुत किया गया। 'बजट' शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। 'वार्षिक वित्तीय विवरण' का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। भारत सरकार के दो बजट होते हैं, रेलवे बजट और आम बजट। पहले बजट में सिर्फ रेलवे मंत्रालय का आय-व्यय शामिल होता है। आम बजट में भारत सरकार के सभी मंत्रालय के आय-व्यय का विवरण होता है। रेलवे बजट को आम बजट से एकवोर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में अलग किया गया। इसके कारण निम्नलिखित हैं:

1. रेलवे वित्त में लचीलापन बताना।
2. रेलवे को नीति निर्धारण के अवसर उपलब्ध कराना।
3. आम राजस्व के स्थायित्व की सुरक्षा जिसमें रेल राजस्व के सालाना बजट का हिस्सा सुरक्षित हो।
4. रेलवे को अपने विकास के लिए कार्यरत करना।

बजट पेश किये जाने के पश्चात् 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा इस पर विचार करके पास किया जाना और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाना आवश्यक है। सामान्य बजट की कुल 109 मांगें होती हैं जिसमें 103 माँगे असैनिक व्यय के लिए तथा 6 मांगें प्रतिरक्षा व्यय के लिए होती हैं। रेल बजट की 23 माँगे होती हैं। भारत में आम बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है।

संसदीय समितियां (Parliamentary Committees)

संसद अपना बहुत-सा कार्य संसदीय समितियों के माध्यम से करता है। दूसरे देशों की भांति आज भारत में भी संसदीय समितियां महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। चूंकि सदन का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी ओर भारत में लोकसभा में 545 सदस्य हैं तथा राज्य सभा में 250 सदस्य। सदन में प्रत्येक विषय पर विस्तार से चर्चा या जांच पड़ताल नहीं हो पाती है। इनके पास समय भी कम होता है जिसमें अनेक कार्य निपटाने होते हैं। अत: संसद की समितियां किसी मामले की विस्तार से जांच-पड़ताल कर, उसके लाभ-हानि तथा उसमें क्या सुधार किया जाए इत्यादि ब्यौरा तैयार कर अपनी रिपोर्ट सदन को देती है।

किसी मामले में समितियों द्वारा तकनीकी तथा व्यापक जांच करने से सदन का बहुमूल्य समय बच जाता है। संसदीय समितियां वह होती हैं जिसमें:

- स्पीकर/सभापित द्वारा सदस्यों को 'मनोनीत' किया जाता है।
- सदन द्वारा निर्वाचित भी किया जा सकता है।

- समितियां स्पीकर/सभापति के निर्देश में कार्य करती हैं।
- अपनी रिपोर्ट सदन को या स्पीकर/सभापति को पेश करती हैं।

1. **स्थायी समितियां**—स्थायी समितियों का निर्माण समय-समय पर प्रतिवर्ष सदन द्वारा निर्वाचित किया जाता है या फिर स्पीकर/सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है।
2. **तदर्थ समितियां**—तदर्थ समितियों का निर्माण आवश्यकतानुसार सदन या स्पीकर/सभापति द्वारा विशिष्ट मामलों पर विचार करने के लिए किया जाता है। ऐसी समितियां अपना काम करने के बाद समाप्त हो जाती हैं।

सदन की समितियां (Committees of the House)

ये प्रमुख रूप से चार प्रकार की होती हैं:

कार्यमंत्रणा समिति

राज्य सभा तथा लोकसभा में एक कार्यमंत्रणा समिति होती हैं। राज्यसभा की इस समिति में उपसभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। राज्य सभा का सभापति समिति का पदेन सभापति होता है। लोकसभा की इस समिति में स्पीकर सहित 15 सदस्य होते हैं। स्पीकर इस समिति का पदेन सभापति होता है। सभापति /स्पीकर समिति को मनोनीत करता है यह समिति तब तक कार्य करती है जब तक कि समिति गठित न हो जाए।

कार्य—समिति का प्रमुख कार्य हैं, सरकार द्वारा लाये जाने वाली विधायी तथा अन्य को निपटाने के लिए कितना समय निर्धारित किया जाए। समिति खुद भी सरकार को सिफारिश कर सकती है कि वह कोई विषय, विशेष सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करे और उस चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा में समिति यह भी सिफारिश करती है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकंल्प पर चर्चा के लिए कितना समय निर्धारित किया जाए।

समिति ऐसे कार्यों को भी करती है जो उसे स्पीकर या राज्यसभा के सभापति द्वारा समय-समय पर सौंपे जाते हैं। समिति के अन्दर कोई भी फैसला सर्वसम्मति से लिया जाता है। समिति द्वारा अपनी सिफारिश प्रतिवदेन के रूप में सदन में पेश की जाती है। सदन ऐसे प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या उसमें संशोधन कर सकती है।

निजी सदस्य या गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति

यह लोकसभा की समिति है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष इस समिति का सभापति होता है।

कार्य—संविधान में संशोधन करने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लोकसभा में पेश करने से पूर्व खूब अच्छी जांच-पड़ताल करनी पड़ती है, तथा विधेयकों तथा संकल्पों के लिए समय के साथ-साथ काम भी निर्धारित करती है। राज्य सभा में ऐसी समिति नहीं होती है।

सदन मे अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से संबंधित समिति

लोकसभा की इस समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा राज्य सभा में ऐसे मामलों पर सदन खुद विचार करता है।

कार्य—जब कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति लिए 60 दिन तक या इससे अधिक दिन तक अनुपस्थित रहता है, तब तो ऐसे मामलों की जांच करना, इस समिति का प्रमुख कार्य है। समिति यह भी विचार करती है कि क्या अनुपस्थिति साफ की जाए या सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाए। समिति सदन की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति के लिए सदस्यों से प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों पर विचार करती है।

नियम समिति

यह समिति राज्य सभा लोक सभा दोनों में होती है। राज्स सभा में इस समिति में सभापति तथा उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा के इस समिति में स्पीकर सहित 15 सदस्य होते हैं। स्पीकर समिति का पदेन सभापति होता है।

कार्य—यह समिति सदन के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया-संबंधी मामलों पर विचार करती है। संबंधित नियमों में यह आवश्यक संशोधन के लिए सिफारिश भी कर सकती है।

वित्तीय समितियां

संसद की तीन वित्तीय समितियां हैं:

1. लोकसभा की प्राक्कलन समिति
2. लोकसभा लोक लेखा समिति
3. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति।

तीनों वित्तीय समितियां एक वर्ष के लिए सदन द्वारा निर्वाचित की जाती हैं। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। मंत्रीगण इन समितियों के सदस्य नहीं होते, सभापति, स्पीकर के द्वारा मनोनीत किया जाता हैं। समितियों के निष्कर्ष सिफारिश के रूप में पेश किये जाते हैं।

प्राक्कलन या अनुमान समिति (Estimate Committee)

इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। राज्य सभा में ऐसी समिति नहीं होती है। यह समिति 'स्थाई मितव्ययिता समिति 'के रूप में कार्य करती है। इसके सुझाव सरकारी फिजूल-खर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं। समिति इस बात पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि अनुमानों में निहित नीति के अनुकूल किस प्रकार की मितव्ययिता, संगठन में सुधार या प्रशासन में सुधार संभव है। प्रशासन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता लाने कें लिए समिति वैकल्पिक नीतियों को सुझाव देती है। समिति इस तथ्य की जांच करती है कि अनुमानों में निर्धारित नीति की सीमा के अंतर्गत धन का वितरण ठीक प्रकार से किया गया है या नहीं। अनुमानों को संसद में प्रस्तुत

किए जाने की रीति के बारे में सुझाव देना एवं ऐसे अनुमानों की जांच करना जो सदन अथवा स्पीकर द्वारा विशेष रूप में सौंपे जायें।

लोक लेखा समिति (Public Account Committee)

इसका गठन पहली बार 1921 में किया गया था। उसका पहला अध्यक्ष गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के वित्त सदस्य डब्ल्यू एम.हेली को बनाया गया था। 1949 तक कार्यकारी परिषद के वित्त सदस्य ही इसके अध्यक्ष सदस्य होते है। 1950 से यह एक संसदीय समिति बन गई जो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करती है। 1967 से इस समिति के अध्यक्ष पद पर किसी विपक्षी सांसद को नियुक्त किया जानें लगा। 1981 से पहले इस समिति की रिपोर्ट तथा सिफारिश पर कोई 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' प्रस्तुत नहीं की जाती थी, लेकिन 1982 में पहली बार संबंधित मंत्रालय एवं विभाग द्वारा सांसद में कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने लगी।

इसे सबसे पुरानी वित्तीय समिति होने का गौरव प्राप्त है। इस समिति में 22सदस्य होते है लोक सभा के 15 तथा राज्य सभा के 7 सदस्य। समिति का सभापति विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, द्वारा किया जाता है। मंत्रियों को इस समिति में शमिल नहीं किया जाता है।

लोक लेखा समिति के कार्य—समिति का मुख्य कार्य है भारत सरकार के लिए व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करना। यह पता लगाना कि धन संसद प्राधिकृत रूप से खर्च किया गया है या नहीं क्या धन उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया गया है ? जिसके लिए वह प्रदान किया गया था। यदि सरकार के किसी वित्त वर्ष में निर्धारित राशि से अधिक धन का खर्च करती है तो समिति यह पता लगाती है कि अतिरिक्त धन सरकार ने क्यों खर्च किया, क्या ऐसा करना जरूरी था?

समिति देश के वित्तीय मामलों के संचालन में भ्रष्टाचार, अपव्यय जैसी कमियों को भी उजागर करती है तांकि जिससे भविष्य में वित्तीय मामलों में गड़बड़ी न हो। समिति संबंधित मंत्रालय द्वारा की गयी फिजूलखर्ची की जांच कर, उसकी आलोचना करती है और फिजूलखर्ची न हो इसके बारे में अपने सुझाव देती है। समिति यदि आवश्यक समझे तो सरकारी नियमों, निर्माण-संस्थाओं स्वायत्तशासी एवं अधिस्वायत्तशासी के लेखा विवरणों और लाभ-हानि सहित आय-व्यय की जांच करती है।

लोक लेखा समिति का कार्य उन सभी मामलों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना है, जिनके संबंध में राष्ट्रपति ने उनसे किन्हीं प्राप्तियों की लेखा परीक्षक करने की अपेक्षा की हो। भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक समिति के कार्यों में सहायता करता है, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक समिति की बैठकों में भाग ले सकता है।

यद्यपि समिति अनियमितताएं तभी प्रकाश में आती हैं जब वे हो चुकी होती है, हानि पहुंच चुकी होती है या फिजूल खर्च हो चुका होता है फिर भी समिति द्वारा किए जाने वाले जांच पड़ताल से सरकार पहले ही सावधान रहती है तथा वह कोशिश करती है कि वित्तीय मामलों में अनियमितताएं न आने पाए।

सरकारी उपक्रमों से संबंधी समिति

इस समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें राज्य सभा के 7 तथा 15 लोकसभा से। इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। मंत्रीगण इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। भारत में अनेक सरकारी कंपनियां और निगम हैं जिनसे सरकार की बहुत अधिक धनराशियां लगी हुई है। अतः इनके कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए 'सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति' का गठन किया गया है।

इस समिति के कार्य कार्य निम्न है-लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निगमों की चतुर्थ अनुसूची में वर्णित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन तथा लेखाओं की जांच करना। सरकारी उपक्रमों के विषय में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य पूर्णरूप से व्यापार सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं।

समिति उन कार्यों की भी जांच करती है जिसे सदन द्वारा या स्पीकर द्वारा विशेष रूप से सौंपे जाते हैं। स्पष्ट है कि समिति के जांच के दायरे में उत्पादन, सामान्य अर्थव्यवस्था में अंशदान, सहायक उद्योगों का विकास, रोजगार के अवसर पैदा करना, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण आदि आता है।

जांच समितियां (Investigation Committees)

याचिका समिति (Litigation Committee)

प्रत्येक सदन की एक याचिका समिति होती है, इसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य है। इसका कार्य ऐसे प्रत्येक याचिका की जांच करना है जो सदन में पेश किए जाने के बाद समिति को सौंपी जाती है। समिति विशिष्ट शिकायतों पर सदन में प्रतिवेदन पेश करती है। समिति भविष्य में ऐसी शिकायतें न हों, इसलिए इसके रोकथाम के लिए उपाय भी सुझाती है। समिति विभिन्न व्यक्तियों तथा संघों से प्राप्त पत्रों, तारों तथा आवेदनों पर भी विचार करती है, जो याचिकाओं से संबंधित नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। इनकी समस्याओं को निबटाने के लिए निर्देश देती है। यह समिति पीड़ित एवं शोषित व्यक्तियों को न्याय दिलाने तथा संसदीय समर्थन प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण कार्य कर चुकी है। समिति 'सार्वजनिक शिकायत समिति' के रूप में कार्य करती है।

विशेषाधिकार समिति (Privilege Committee)

विशेषाधिकार समिति का गठन दोनों सदनों में सभापति/स्पीकर द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं।

समिति संसद और संसद सदस्यों की शक्तियों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कभी सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार भंग होता है, तब समिति ऐसे प्रत्येक प्रश्न की जांच करती है तथा यह भी पता लगाती है कि विशेषाधिकार भंग हुआ है कि नहीं, यदि भंग हुआ है तो इसके बारे में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है। सिफारिशों को कार्यान्वित कैसे किया जाय इसका भी सुझाव देती है। सदन में समिति की सिफारिशें प्रायः स्वीकार कर ली जाती हैं।

छानबीन करने वाली समितियां

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

संसद के प्रत्येक सदन की अपनी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति है। राज्यसभा तथा लोकसभा में इसके 15-15 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों को सभापति/स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है। समिति प्रत्येक वर्ष पुनर्गठित की जाती है। मंत्रीगण इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं।

अधीनस्थ विधानसमिति का मुख्य कार्य इस बात की जांच करना है कि क्या नियम, विनियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अथवा संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका के द्वारा उस प्रत्यायोजन के अंतर्गत समुचित रूप से किया जा रहा है या नहीं। समिति ऐसे सभी विधेयकों की जांच करती है जिनका उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को विधान बनाने की शक्तियां प्रत्यायोजित करना हो।

समिति इस बात की भी जांच करती है कि क्या प्रत्यायोजित अधिकार के अंतर्गत नियमों या आदेशों के द्वारा कोई कर तो नहीं लगाया जा रहा है? तथा क्या संचित निधि में से किसी व्यय का प्रस्ताव है, इससे न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूकावटें तो नहीं हैं। इसके प्रकाशन में या इन्हें संसद के समक्ष रखने में विलंब तो नहीं हुआ। समिति जांच के बाद सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रत्यायोजित शक्तियों को कम करने या उसमें संशोधन करने का सुझाव देती है। समिति ने प्रशासन के अधिकारों के दुरूपयोग को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हुई है, अधीनस्थ एजेंसियां भी समिति के जांच पड़ताल करने के कारण अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से डरती हैं।

आश्वासन संबंधी समिति (Assurance Committee)

संसद के प्रत्येक सदन में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति गठित की गई है। राज्यसभा में इस समिति में 10 सदस्य तथा लोक सभा में 15 सदस्य हैं। समिति के सदस्यों को सभापति/स्पीकर मनोनीत करता है। समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। सदन में मंत्रियों द्वारा समय-समय पर अनेक प्रकार के आश्वासन दिये जाते हैं, साथ ही वे प्रतिज्ञाएं एवं वचन भी देते हैं। यह समिति इस बात की जांच करती है कि वह मंत्री अपने इन कर्त्तव्यों का पालन कर रहा है या नहीं।

इस समिति के रहने से सदन के सदस्य सदैव सचेत रहते हैं कि सदन में उतने ही आश्वासन दिए जाएं जितने वे पूरे कर सकें। कोई मंत्री या सदस्य सदन को झूठे आश्वासन नहीं दे सकता है यदि वह ऐसा करता है तो समिति उसके आश्वासनों की ओर ध्यान दिला देती है।

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

यह समिति संसद के प्रत्येक सदन द्वारा गठित की जाती है। लोकसभा में इस समिति के 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। समिति सभा पटल पर रखे गए सभी पत्रों की संवैधानिकता की विस्तृत जांच करती है तथा इन पत्रों में पाए गए दोषों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। समिति इस बात की भी जांच करती है कि क्या पत्रों को सभापटल पर रखने में विलंब हुआ है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

इस समिति के 30 सदस्य (लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10) हैं। दोनों सदनों में इन सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनका निर्वाचन प्रतिवर्ष होता है। मंत्रीगण इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मामलों के बारे में संघ सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपायों को प्रतिवेदित करना। सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में, जिनमें सरकारी क्षेत्रों के उपबंधों, संविहित और अर्द्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्तियां भी शामिल हैं। संघ सरकार द्वारा किए गए उपायों पर विचार भी इस समिति का कार्य है।

इस समिति का कार्य संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन देना है। समिति यह भी सुनिश्चित करती है कि इन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक रक्षा को प्रभावी ढंग से किस प्रकार कार्यान्वित किया जाए।

निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि यह समिति अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी सभी कार्यों को करती है।

उपलब्ध कराने वाली समितियां

संसद के दोनों सदनों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं, जिससे वे अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक ढंग से कर सके। संसद की कुछ ऐसी ही समितियां हैं जो इनकी सुविधाओं का ध्यान रखती है और समस्याओं की जांच करती है। ये समितियां हैं:

1. आवास समिति
2. सामान्य प्रयोजन समिति
3. ग्रंथालय समिति
4. संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

तदर्थ समितियां (ADHOC Committees)

तदर्थ समितियां आवश्यकतानुसार गठित की जाती हैं। ये अपना काम करने के बाद समाप्त हो जाती हैं। ये समितियां प्रमुख हैं:

1. प्रवर या संयुक्त प्रवरसमिति: सदन में इस समिति का निर्माण किसी महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर विचार करने के लिए किया जाता है। सदन में प्रस्ताव पास किया जाता है कि संबंधित विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए। यह समिति विधेयक जांच के दौरान विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श करती है और सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करती है।
2. रेलवे अभिसमय समिति
3. खेल अध्ययन समिति
4. सदस्यों के आचरण संबंधी समिति
5. विशिष्ट प्रयोजन से संबंधित समिति इत्यादि।

तालिका 9.4: विभिन्न समितियां और उसकी सदस्य संख्या एवं कार्य

समिति	कुल सदस्य	लोक सभा	राज्य सभा	कार्य
1. लोक लेखा समिति	22	15	7	विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श
2. प्राक्कलन समिति	30	30	–	सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना।
3. सार्वजनिक उपक्रम समिति	22	15	7	सीएजी के प्रतिवेदनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा व प्रतिवेदनों की समीक्षा और संविक्षा करना है।
4. विशेषाधिकार समिति (दोनों सदनों के लिए पृथक-पृथक)		15	10	संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों का परीक्षण करना है।
5. प्रवर समिति	–	30		विधेयकों की समीक्षा करना (दोनों के लिए पृथक-पृथक)
6. संयुक्त प्रवर समिति	45	30	15	विधेयकों की समीक्षा करना।
7. कार्य मंत्रणा समिति	–	15	11	सरकारी विधेयकों का समय निश्चित करने हेतु (दोनों सदनों के लिए पृथक-पृथक)।
8. याचिका समिति	–	15	10	प्रत्येक याचिका की जांच करना (दोनों सदनों के लिए पृथक-पृथक)।
9. नियम समिति	–	15	16	सभा के प्रक्रिया व कार्य-संचालन के मामलों पर विचार करना (दोनों सदनों के लिए पृथक-पृथक)।
10. सरकारी आश्वासन समिति	–	15	10	मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं आदि की जांच करना और उनके बारे में प्रतिवेदन देना।
11. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जनकल्याण संबंधी समिति	30	20	10	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक रक्षोपायों की कार्यान्वित पर निगरानी रखना।
12. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	–	15	15	यह जांच करना कि संविधान द्वारा प्रत्यायोजित नियम, विनियम, उपनियम, उपविधिक आदि बनाने की कार्यपालिका की शक्ति प्रत्यायोजत सीमा के अंदर प्रयुक्त की जा रही है या नहीं।
13. ग्रन्थालय समिति	9	6	3	संसद के ग्रंथालय संबंधी कार्यों को देखने के लिए गठन।

नवीन समिति प्रणाली

लोकसभा की नियम समिति द्वारा 1991 में की गई सिफारिश के अनुसार भारत में 17 संसदीय समितियों को गठित किया गया। 2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गयी है। इन समितियों का उद्‌घाटन तात्कालिक उपराष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा 31 मार्च, 1993 को किया गया। इन समितियों का गठन विभिन्न मंत्रालयों की बजट मांगों, उनकी वार्षिक रिपोर्टों, विधेयकों और सरकार की दीर्घकालिक नीतियों पर विचार करने के लिए किया गया है। इन समितियों का कार्य सरकार के कामकाज की समीक्षा करना है।

नवीन समिति प्रणाली के अनुसार गठित की जाने वाली इन समितियों में से प्रत्येक में कुल 45 सदस्य होंगे, जिनमें से 30 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से होंगे। इन समितियों के सदस्य एक वर्ष के मनोनीत किए जाते हैं और इसके लिए प्रत्येक राजनीतिक दल के नेता अपने सदस्य का नाम पीठासीन अधिकारी को देता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति पीठासीन अधिकारी करता है एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या में अनुपात में दल के सदस्यों के समिति में शामिल किया जाता है।

लेखानुदान (Vote on Account)

चूंकि बजट संबंधी समस्त कार्य, जो बजट के पेश किये जाने से आरम्भ होता है और अनुदानों की माँगों पर चर्चा मतदान तथा विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के पारित होने पर समाप्त होता है, सामान्यत: चालू वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं हो पाता, इसलिये संविधान में ऐसा उपबन्ध किया गया है, जिसके अंतर्गत लेखानुदान द्वारा अग्रिम अनुदान देने की शक्ति लोकसभा को दी गई है। जिसमें सरकार अनुदानों की मांगों पर मतदान होने तथा विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के पारित होने तक अपना कार्य चला सके।

सामान्यत: लेखानुदान की स्वीकृति दो महीनों के लिये ली जाती है और इसकी राशि अनुदानों की विभिन्न माँगों के अधीन समस्त वर्ष के लिये प्राक्कलित व्यय के छठे भाग के बराबर होती है। यदि किसी निर्वाचन वर्ष में, यह पूर्वानुमान हो कि सभा को मुख्य अनुदानों और विनियोग विधेयक को पारित करने में अधिक समय लग सकता है तो लेखानुदान की स्वीकृति अधिक समय अर्थात् तीन से चार माह तक के लिये की जा सकती है। प्रथानुसार लेखानुदान को एक औपचारिकता माना जाता है और इसे लोकसभा किसी चर्चा के बिना ही स्वीकार करती है। बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के पश्चात् और अनुदानों की माँगों पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व लोकसभा द्वारा लेखानुदान स्वीकृत किया जाता है। रेल बजट के सम्बन्ध में, जिसे 31 मार्च से पहले स्वीकार किया जाता है, किसी निर्वाचन वर्ष को छोड़कर जब ऐसा करना आवश्यक हो, कोई लेखानुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है।

अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें
(Demand for Supplementary and Excess Grants)

संसद द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक राशि उसकी मंजूरी के बिना व्यय नहीं किया जा सकता। यदि किसी सेवा विशेष पर चालू वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्रधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या जब उस वर्ष के बजट में अपेक्षित किसी नई सेवा के लिये चालू वित्तीय वर्ष में अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता पैदा होती है, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित राशि दिखाने वाला एक और विवरण प्रस्तुत होती करवाता है।

यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर उस और उस वर्ष के लिये अनुदत्त राशि से अधिक व्यय हो जाता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा ऐसे अतिरिक्त व्यय के लिये मांगे प्रस्तुत करवाता है। ऐसे अतिरिक्त व्यय के सभी मामलों की और नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं संबंधी अपने प्रतिवेदन के माध्यम से संसद का ध्यान दिलाया जाता है। तत्पश्चात् अतिरिक्त व्यय के इन मामलों की छानबीन लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है, जो सभा को प्रस्तुत किये जाने वाले अपने प्रतिवेदन में इनको विनियमित करने के बारे में अपनी सिफारिश पेश करती है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगे वित्तीय वर्ष का अन्त होने से पूर्व पेश और स्वीकार की जाती है,जबकि अनुदानों की अतिरिक्त माँगें वास्तव में धन व्यय किये जाने के पश्चात् तथा उस वित्तीय वर्ष, जिसके संबंध में वे है,के समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती हैं। अनुपूरक अनुदानों की मांगों पद वाद-विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहता है जिन्हें कि प्रस्तुत किया गया हो,और जहाँ तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानो पर या उनसे सम्बन्धित नीति पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान (Exceptional Grant)

अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लेखानुदान, प्रत्ययानुदान के द्वारा संचित निधि से धन निकालने का उल्लेख किया गया है। जब किसी सेवा की पहली महता या राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिये निधियों की आवश्यकता हो और जिसके संबंध में ऐसा ब्योरा देना संभव हो जिससे कि वार्षिक वित्तीय विवरण दी जाती है, जब ऐसी स्थिति में सदन बिना दिये प्रत्ययानुदान के माध्यम से अप्रत्याशित माँग की पूर्ति कि लिये अनुदान स्वीकृत कर सकता है।

अपवादानुदान एक ऐसा अनुदान है जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं होता हैं। संसद को किसी विशेष प्रयोजन के लिये इसे स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है। तथापि आज तक ऐसी कोई माँगें संसद में प्रस्तुत नहीं की गई है। इसकें अलावा, संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्यों के बजट भी लोकसभा में पेश किये जाते हैं। ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार को बजट संबंधी प्रक्रिया अध्यक्ष द्वारा किये गये परिवर्तनों के साथ अपनाई जाती हैं।

संसद में प्रश्न प्रक्रिया
प्रश्नकाल (Question Hour)

संसद के सम्बन्ध में प्रश्नकाल का तात्पर्य उस अवधि से है, जिसमें संसद सदस्यों द्वारा लोकसभा महत्त्व के किसी मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह समय संसद के दोनों सदनो में प्रत्येक बैठक (प्रतिदिन) के प्रारम्भ में एक घंटे का होता हैं। प्रश्नकाल के दौरान भारत सरकार से सम्बन्धित मामले उठाये जाते हैं। सार्वजनिक स्थिति का सामना करने के लिए, लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए तथा किसी प्रशासनिक त्रुटि करने के लिए सरकार कार्यवाही करे।

विभिन्न प्रकार के प्रश्न

1. **तारांकित प्रश्न (Starred Question)**—जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरन्त सदन चाहता है, अर्थात् मौखिक उत्तर दिया जाता है। उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है, तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।
2. **अतारांकित प्रश्न (Unstarred Question)**—जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता और इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते।
3. **अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice Question)**—जो प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्त्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम समय में सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता हैं।

4. **गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न**—संसद में मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों, जिन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जब प्रश्न का विषय किसी ऐसे विधेयक या संकल्प अथवा सदन के कार्य के किसी अन्य विषय से सम्बन्धित हो, जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी रहा हो।

आधे घंटे की चर्चा

जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो, उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में तीन दिन तथा सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। राज्यसभा मे ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे, सामान्यत: 5 से 5:30 बजे तक नियत की जा सकती है। ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्त्व का होना चाहिए तथा विषय हाल के किसी तारांकित, या अल्प सूचना के प्रश्न का विषय रहा हो और जिसके उत्तर को किसी तथ्यात्मक मामले के आगे स्पष्टीकरण आवश्यक हो-ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व दी जानी चाहिए।

शून्य काल (Zero-Hour)

संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारम्भ होता है और 1 बजे तक चलता है। शून्य काल का राज्यसभा या लोकसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात् 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल कहा जाता है। इस काल के दौरान सदस्य अविलम्बनीय महत्त्व के मामलों को उठाते हैं तथा उन पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं।

संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया

आधे घंटे की चर्चा को छोड़कर संसद में किसी प्रश्न को पूछकर उसका उत्तर पाने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है, जिस कारण किसी अविलम्बनीय या सार्वजनिक महत्त्व के मामलों को उठाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों की प्रक्रिया तथा संचालन के नियमों के मामलों को उठाने की प्रक्रिया विहित की गयी है। इन नियमों में दो प्रकार के मामलों का उल्लेख है और उनको संसद में उठाने की कई प्रक्रियाएं विहित हैं।

प्रस्ताव (Motion)

1. स्थगन प्रस्ताव:- स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलम्बनीय लोक महत्त्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तब सदन अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिये सदन का नियमित कार्य रोक देता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए निम्नलिखित तत्त्व आवश्यक हैं:

- मामले का स्वरूप निश्चित हो,
- मामले का आधार तथ्यात्मक हो,
- मामले में विलम्ब किया जाना उचित न हो, तथा
- मामला लोक महत्त्व का हो।

स्थगन प्रस्ताव के लिए उचित विषय हैं—देश की राजनीतिक स्थिति, अराजकता, बेरोजगारी, रेल दुर्घटनाएं, मिलों का बन्द हो जाना, सामान्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहता है, उसे प्रस्ताव पेश करने के दिन, 10 बजे (सुबह), प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष/सभापति, सम्बनिधत मंत्री तथा महासचिव को देना चाहिए। यदि अध्यक्ष को समाधान हो जाए कि वह मामला नियमानुकूल है, तो वह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता है। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद सदन की अनुमति से प्रस्ताव पेश किया जाता है और ऐसे प्रस्ताव पर विचार-विमर्श शाम 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होता है। इसे सरकार के विरुद्ध 'निन्दा प्रस्ताव' भी कहते हैं।

2. **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Call-Attention Motion):** इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष/सभापति की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्त्व के किसी मामले की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है कि वह इस मामले पर एक संक्षिप्त वक्तव्य दे। मंत्री ऐसे प्रस्ताव पर या तो तुरंत वक्तव्य दे सकता है या किसी अन्य तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय की मांग कर सकता है। इस प्रस्ताव के मुख्य स्त्रोत दैनिक समाचार पत्र होते हैं तथा कभी-कभी वे किसी सदस्य की निजी जानकारी के आधार पर या उसके अपने निर्वाचकों के साथ हुए पत्र व्यवहार के आधार पर दी जा सकती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित नियम 1954 में बनाया गया था। यह प्रस्ताव सुबह 10 बजे लिखित रूप में दिया जाता है।

3. **अल्पकालीन चर्चाएं (Short Term Discussion):** गैर सरकारी अविलम्बनीय लोक महत्त्व के मामले को सदन के ध्यान में लाने के लिए अल्पकालीन चर्चा उठा सकता है। अल्पकालीन चर्चा उठाने की प्रथा 1953 से प्रारंभ की गयी। इस चर्चा को उठाने के लिए मामले का संक्षेप में उल्लेख करते हुए और उसके कारणों की स्पष्ट व्याख्या करते हुए सदस्य, जो चर्चा उठाना चाहता है, द्वारा महासचिव को सूचना देनी होती है। ऐसी सूचना पर दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। इस चर्चा की स्वीकार्यता के सम्बन्ध में अध्यक्ष/सभापति निर्णय करता है और यदि उसका समाधान हो जाता है कि मामला अविलम्बनीय तथा पर्याप्त महत्त्व का है और उसे शीघ्र ही सदन में उठाना आवश्यक है तो वह सूचना को स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी चर्चा के लिए सप्ताह में दो दिन का समय नियत किया जा सकता है, जो कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर की जाती है। सामान्यत: ऐसी चर्चा मंगलवार तथा गुरूवार को स्वीकार की जाती है।

नियम (Regulation)

नियम 377: जो मामले व्यवस्था के प्रश्न नहीं होते या जो प्रश्नों, अल्प सूचना प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों आदि से सम्बन्धित नियमों के अधीन नहीं उठाये जाते, वे नियम 377 के अधीन उठाये जाते हैं। जो सदस्य इस

नियम के अधीन मामला उठाना चाहता है, वह संक्षेप में मुद्दों, जिन्हें वह उठाना चाहता है, के साथ उसके उठाने के कारण ही लिखित सूचना महासचिव को देता है। मामला नियम 377 के अधीन उठाने योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। इसके अंतर्गत लोक महत्त्व के मामलों तथा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामलों को उठाया जाता है।

नियम 184: नियम 184 के तहत विचार के साथ मतदान की भी व्यवस्था है, जबकि नियम 193 में केवल विचार होता है मतदान नहीं।

नियम 388: इस नियम के तहत यह प्रावधान है कि सदन में सारे नियमों को किनारे कर किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। यह नियम उस दौरान चर्चा में आया था, जब अगस्त 2011 में अन्ना हजारे का जन लोकपाल विधेयक के लिए, बहु-चर्चित अनशन जारी था।

नियम 193: इस नियम के तहत सार्वजनिक महत्त्व के किसी विषय पर सदन का कोई सदस्य अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस दे सकता है। ध्यातव्य है कि इस नियम के अंतर्गत चर्चा के उपरांत मत विभाजन का प्रावधान नहीं है।

नियम 115: संसद सदस्यों को किसी अन्य सदस्य या मंत्री के वक्तव्य में त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार इस नियम के तहत प्रदान किया गया है। जिसके बारे में सम्बंधित सदस्य या मंत्री को अपनी सफाई देनी होती है।

अविश्वास प्रस्ताव (Non-Confidential Motion)

अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ जुड़ा हुआ है। इसे लोकसभा में विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए कम से कम लोकसभा के 50 सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है।

निन्दा प्रस्ताव (Censure-Motion)

सरकार की नीतियों की अलोचना करने के लिए विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा किसी मंत्री विशेष या शासन के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव रखा जाता है। निन्दा प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है।

तालिका 9.5: निन्दा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव

निन्दा प्रस्ताव	अविश्वास प्रस्ताव
• यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निन्दा के लिए लाया जाता है।	यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है।
• यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है।	यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है।
• लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक होता है।	लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है।
• यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है।	यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है।

कटौती प्रस्ताव (Cut-Motion)

अनुदानों की मांगों की राशियों में कमी करने वाले प्रस्ताव 'कटौती प्रस्ताव' कहलाते हैं। कटौती प्रस्तावों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है—(1) नीति निरनुमोदन कटौती, (2) मितव्ययिता कटौती और (3) सांकेतिक कटौती। सबसे प्रभावी कटौती प्रस्ताव प्रथम श्रेणी का कटौती प्रस्ताव होता है। प्रस्तावक मांग में अंतर्ग्रस्त नीति का निरनुमोदन करता है। इसके अतिरिक्त 'मितव्ययिता कटौती' प्रस्ताव होता है जिसका उद्देश्य व्यय में मितव्ययिता लाने की दृष्टि से मांग की राशि में रुपये (एक राशि विशेष) की कमी की जाये।

कम करने के लिए सुझाई गई राशि मांग में एक मुश्त राशि की कमी करने के बारे में हो सकती है या मांग में से किसी मद को हटाने अथवा उसमें कमी करने के बारे में हो सकती है। अंतिम कटौती प्रस्ताव 'सांकेतिक कटौती' प्रस्ताव होता है, जिसमें कहा जाता है 'कि मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।' ऐसे कटौती प्रस्ताव पर चर्चा उसमें विनिर्दिष्ट शिकायत तक ही सीमित रहती है, जो भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में होती है। कटौती प्रस्ताव के रूप में, इस प्रस्ताव का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है।

सामान्यतया, मूल प्रस्ताव और उससे संबंधित कटौती प्रस्ताव पर सदन में एक साथ चर्चा की जाती है और उसे मतदान के लिए रखा जाता है। अत: कटौती प्रस्ताव के माध्यम से अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ की जाती है। चर्चा के पश्चात् सर्वप्रथम कटौती प्रस्तावों को निपटाया जाता है और उसके बाद अनुदानों की मांगे सदन में मतदान के लिए रखी जाती है। कटौती प्रस्ताव विपक्ष के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं। उनके स्वीकार हो जाने में तात्पर्य होता है सरकार की निन्दा। किन्तु सदन में बहुमत की सरकार होने से उनके स्वीकृत होने की आशा ही नहीं होती। अत: कटौती प्रस्ताव अनुदानों संबंधी मांगों पर चर्चा प्रारंभ करने के प्रतीक मात्र होते हैं।

संसद द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया (Law-making process in Parliament)

संसद मूलत: एक केन्द्रीय विधानमंडल है। विधायिक के रूप में इसका प्रमुख काम है विधि का निर्माण करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधि के शासन की संकल्पना महत्त्वपूर्ण होती है। उच्चतम न्यायालय ने 'विधि के शासन' को संविधान का आधारभूत लक्षण के रूप में स्वीकार किया है। प्रशासन के अंतर्गत विधि मौलिक होता है क्योंकि विधि ही सरकार के विभिन्न अंगों को अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए अधिकृत करता है तथा उसे नियंत्रित भी करता है। भारतीय संविधान लिखित है तथा संविधान के

उपबंध संसद (विधायिका) को विधि निर्माण के लिए अधिकृत करता है। चूंकि संसद लोगों की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, अत: उससे अपेक्षित कि वे ऐसे विधि का निर्माण करे जो जनता के आर्थिक-सामाजिक राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा उस विधि में जनसामान्य की आशाएं एवं इच्छाएं प्रतिबिम्बित हो।

विधेयक निर्माण की प्रक्रिया

जैसे ही कोई विधायी प्रस्ताव सामने आता है तो संबंधित मंत्रालय यह देखता है कि इसके विधि रूप में आने पर इसके राजनीतिक प्रशासनिक वित्तीय और अन्य परिणाम क्या हो सकते हैं। यदि अन्य मंत्रालय और राज्य सरकारें भी उनसे संबंधित हो तो उसका परामर्श लिया जाता है। प्रस्ताव के विधिक एवं संवैधानिक पहलुओं पर विधि मंत्रालय और भारत के महान्यायवादी का परामर्श लिया जाता है। प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद उसे अनुमोदन के पश्चात् विशेषज्ञों एवं अधिकारियों की सहायता से प्रस्ताव को विधेयक का रूप दिया जाता है। विधेयक के सदन में पेश किये जाने से लेकर उसके अनुमोदन तक प्रत्येक सदन में उसके तीन वाचन होते हैं अर्थात् संसद की विधायी प्रक्रिया तीन वाचनों में पूरा होती है।

प्रथम वाचन

इसके अंतर्गत विधेयक को सदन में पेश किया जाता है। यह विधेयक का प्रथम वाचन है। सामान्यत: इस अवस्था में विधेयक पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन विधेयक पेश करने के प्रस्ताव का यदि इस आधार पर विरोध होता है कि वह संसद के विधायी क्षमता से बाहर है तो पीठासीन अधिकारी इस पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है।

द्वितीय वाचन

यह संसद में विधायी प्रक्रिया का सबसे महत्त्वपूर्ण चरण होता है, इसके अंतर्गत 3 उपचरण होते हैं:

प्रथम चरण (साधारण बहस की अवस्था)—इस चरण में विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है। इस चरण में सदन चाहे तो विधेयक को सदन की प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है, अथवा विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित कर सकता है या सदन सीधे उस पर विचार कर सकता है।

द्वितीय चरण (समिति का अवस्था)—सदन आवश्यकतानुसार विधेयक को यदि प्रवर या संयुक्त समिति को सौंपता है तो समिति उस पर विचार करती है। समिति इसमें विशेषज्ञों का या सरकारी निकायों की मदद भी ले सकती है जो इस विधायन में रूचि रखते हों। विस्तृत तौर पर जांच एवं अध्ययन के पश्चात् यदि समिति आवश्यक समझती है तो वह विधेयक के संदर्भ में सदन को अपना प्रतिवेदन देती है।

यदि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित करने का प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो उस सदन का सचिवालय सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र भेजकर उनसे कहलाता है कि वे विधेयक से संबंधित स्थानीय निकायों, व्यक्तियों या संस्थाओं, समूहों की राय आमंत्रित करने के लिए अपने-अपने राजपत्रों में उसे प्रकाशित करें। इस प्रकार राज्यों के द्वारा राय जानने की अवधि 3 महीने की अन्तर्गत होती है। राय प्राप्त होने के पश्चात् इस पर सदन विचार करती है कि विधेयक को प्रवर या संयुक्त समिति के पास भेज दिया जाये। विधेयक पर प्रवर या संयुक्त समिति अपना प्रतिवेदन देती है।

तृतीय चरण (विचार विमर्श की अवस्था)—इस चरण में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है। विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदन द्वारा इस पर वाद-विवाद होता है।

तृतीय वाचन

इस वाचन में केवल विधेयक को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। इस चरण में विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यदि सदन का बहुमत से पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके बाद सदन का पीठासीन अधिकारी विधेयक पर विचार और स्वीकृति के लिए दूसरे सदन में भेज देता है। एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन होता है।

राष्ट्रपति की स्वीकृति

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है।

तालिका 9.6: लोकसभा का कार्यकाल और उसके अध्यक्ष

क्रम	गठन के पश्चात की प्रथम बैठक	भंग होन की तिथि	अध्यक्ष	अध्यक्ष का कार्यकाल
पहली लोकसभा	13 मई, 1952	4 अप्रैल, 1957	गणेश वासुदेव मावलंकर	15 मई, 1952-27 फरवरी, 1956
			एम. अनंतशयनम आयंगकर	8 मई, 1956-10 मई, 1957
दूसरी लोकसभा	10 मई, 1957	31 मार्च, 1962	एम. अनंतशयनम आयंगर	11 मई, 1957-16 मई, 1962
तीसरी लोकसभा	16 अप्रैल, 1962	3 मार्च, 1967	हुकुम सिंह	17 अप्रैल, 1962-16 जुलाई, 1967

(Continued)

तालिका 9.6: लोकसभा का कार्यकाल और उसके अध्यक्ष *(Continued)*

क्रम	गठन के पश्चात की प्रथम बैठक	भंग होन की तिथि	अध्यक्ष	अध्यक्ष का कार्यकाल
चौथी लोकसभा	16 मार्च, 1967	27 दिसम्बर, 1970	नीलम संजीव रेड्डी	17 अप्रैल, 1967–19 मार्च, 1971
	गुरदयाल सिंह ढिल्लो	8 अगस्त, 1969–19 मार्च, 1971		
पांचवीं लोकसभा	19 मार्च, 1971	18 जनवरी, 1977	गुरदयाल सिंह ढिल्लो	22 मार्च, 1971–1 दिसम्बर, 1975
			बलिराम भगत	5 जनवरी, 1976–25 मार्च, 1977
छठी लोकसभा	25 मार्च, 1977	22 अगस्त, 1979	नीलम संजीव रेड्डी	26 मार्च, 1977–13 जुलाई, 1977
			के.एम. हेगडे	21 जुलाई, 1977–13 जनवरी, 1977
सातवीं लोकसभा	21 जनवरी, 1980	31 दिसम्बर, 1984	बलराम जाखड़	22 जनवरी, 1980–21 जनवरी, 1980
आठवीं लोकसभा	15 जनवरी, 1985	27 नवम्बर, 1989	बलराम जाखड़	16 जनवरी, 1985–18 दिसम्बर, 1989
नौवीं लोकसभा	18 दिसम्बर, 1989	13 मार्च, 1991	रवि राय	19 दिसम्बर, 1989–9 जुलाई, 1991
दसवीं लोकसभा	9 जुलाई, 1991	10 माई, 1996	शिवराज वी पाटिल	10 जुलाई, 1991–22 मई, 1996
ग्यारहवीं लोकसभा	22 मई, 1996	4 दिसम्बर, 1997	पी. ए. संगमा	23 मई, 1996–23 मार्च, 1998
बारहवीं लोकसभा	23 मार्च, 1989	26 अप्रैल, 1999	जी. एम. सी. बालयोगी	24 मार्च, 1998–20 अक्टूबर, 1999
तेरहवीं लोकसभा	20 अक्टूबर, 1999	6 फरवरी, 2004	जी. एम. सी. बालयोगी	22 अक्टूबर, 1999–3 मार्च, 2002
			मनोहर गजानन जोशी	10 मई, 2002–2 जून, 2004
चौदहवीं लोकसभा	2 जून, 2004	18 मई, 2009	सोमनाथ चटर्जी	4 जून, 2004–11 मई, 2009
पंद्रहवीं लोकसभा	2009		मीरा कुमार	2009 से 2014
सोलहवीं लोकसभा	18 मई, 2014		सुमित्रा महाजन	2014 से अबतक

सविंधान के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत लोकसभा भंग हो जाने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक नहीं छोड़ते।

अध्याय सार संग्रह

- राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। इसमें 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं।
- भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार स्थापित की गई है। ऐसी शासन प्रणाली में राज्य का मुखिया नाममात्र का संवैधानिक मुखिया होता है। शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है।
- संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी है।
- प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है।
- राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो।
- प्रधानमंत्री यदि 6 माह के अंदर संसद सदस्य नहीं बन पाता है तो वह छः माह की समाप्ति पर प्रधानमंत्री नहीं रह जायेगा।
- प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य की बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है तथा राष्ट्रपति उसकी सिफारिश मानने के लिए बाध्य है।

- मंत्रिपरिषद के सदस्यों में विभागों के वितरण की शक्ति प्रधानमंत्री में ही निहित है और वह किसी भी समय मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है।
- मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत समाप्त हो जाने पर उसे त्याग-पत्र दे देना आवश्यक है।
- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना पद संभालने पर शपथ (प्रतिज्ञा) नहीं लेता। वह लोकसभा सदस्य की ही शपथ लेता है।
- लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा की बैठक स्थगित करने या गणपूर्ति न होने की दशा में बैठक निलम्बित करने की शक्ति प्राप्त है। उसे यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने विवेक से सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे जो अपने विचार हिन्दी या अंग्रेज़ी में भली-भाँति व्यक्त नहीं कर सकता।
- लोकसभा की कतिपय समितियों जैसे 'कार्य मंत्रणा समिति', 'सामान्य प्रयोजन समिति', 'नियम समिति' लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में ही कार्य करती है और अध्यक्ष इनका सभापति होता है।
- संसद का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। विधान सम्बन्धी सभी प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के सामने रखे जाते हैं।
- भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है तथापि वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में न तो बैठता है, न ही उनकी चर्चाओं में भाग लेता है।
- निन्दा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध या कुछ मंत्रियों के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य न करने के लिए या उनकी किसी नीति के विरोधस्वरूप पेश किया जाता है।
- संसद में जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन बजट पर चर्चा नहीं की जाती है। बजट पर दो अवस्थाओं में चर्चा की जाती है अर्थात् 'सामान्य चर्चा' और उसके बाद विस्तार में 'अनुदानों की माँगों पर चर्चा और मतदान'।
- भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाजाओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र—**बनेज (जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र)**
- मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र—क्रमशः **उन्नाव व लक्षद्वीप**
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र व सबसे छोटा क्षेत्र—क्रमशः **लद्दाख (जम्मू-कश्मीर) व लक्षद्वीप (30.29 किमी.)**
- अब तक के संसदीय इतिहास में केवल 3 बार क्रमशः संयुक्त बैठक आयोजित हुई हैं—**प्रथम बैठक**-दहेज प्रतिबंध विधेयक, 1961-पं. जवाहर लाल नेहरू, **द्वितीय बैठक**-बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, 1977-मोरारजी देसाई, **तृतीय बैठक**-आतंक निवारक अध्यादेश (पोटा), 2002-अटल बिहारी वाजपेयी।

नोट—राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार अनुच्छेद-108 में दिया गया है। इस प्रकार की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है तथा निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिये जाते हैं।

- लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक (किसी कारणवश आवश्यक हो) किसी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए लेखानुदान पारित कर (पेशगी अनुदान) सकती है।
- संसद में जो विधेयक मंत्री प्रस्तुत करते हैं वे विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते हैं और जो विधेयक संसद सदस्य द्वारा (चाहे वह संसद सदस्य सत्तापक्ष का हो या प्रतिपक्ष का) संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं वे विधेयक गैर-सरकारी विधेयक कहलाते हैं
- जिस सदन में विधेयक पेश किया जाता है उसके द्वारा पास किए जाने के पश्चात् उसे सहमति के लिए इस आशय के संदेश के साथ भेजा जाता है। वहाँ विधेयक फिर तीन अवस्थाओं में गुजरता है।
- संविधान के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उस विधेयक पर, यदि वह विधेयक लोकसभा के विघटित हो जाने के कारण व्यपगत न हो गया हो तो विचार करने और मतदान कराने के प्रयोजन में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए आमंत्रित करे।
- भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, परंतु अनेक अनुच्छेदों में (अनुच्छेद 88 और 105 में) इनका उल्लेख है।